मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक एफ 25/155/2000/पी.डब्ल्यू.सी./चार भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 2000.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर
मध्य प्रदेश.

विषय :- पेंशन का संरांशिकरण (कम्युटेशन)

संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ बी. 25/19/94/पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 6.2.95

विषयांकित ज्ञापन द्वारा अन्य निर्देशों के साथ यह निर्देश भी जारी किए गए थे कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक द्वारा पेंशन कम्युटेशन का आवेदन देने के बाद उसे वापस लेने की छूट नहीं होगी।

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम, 1996 के अंतर्गत कम्युटेशन की दरों में परिवर्तन किए जाने के फलस्वरूप बहुत से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों द्वारा यह मांग की जा रही है कि उनके द्वारा किए गए आवेदनों को उन्हें वापस लेने या प्राधिकृत राशि निरस्त करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय। संपूर्ण स्थिति पर विचार करते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि:-

(अ) ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जो पेंशन कम्युटेशन आवेदन पत्र वापस लेना चाहते हैं या कोषालय पर कम्युटेशन की प्राधिकृत राशि नहीं लेना चाहते हैं, अपने आवेदन सादे पेपर पर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे।

(ब) कार्यालय प्रमुख को ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर वह आवेदन को अपने कार्यालयीन पत्र का संदर्भ देते हुए जिससे पेंशन पेपर संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को पूर्व में भेजे गए थे, शीघ्र वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा।

(स) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के द्वारा यदि कम्युटेशन प्राधिकार-पत्र जारी नहीं हुआ है, तो कम्युटेशन आवेदन-पत्र कार्यालय प्रमुख को वापस किया जायेगा एवं सूचना सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को दी जायेगी। यह तथ्य पेंशन प्रकरण के परीक्षण की संक्षेपिका में दर्ज किया जायेगा। कम्युटेशन प्राधिकार पत्र कोषालय पर जारी होने की स्थिति में जिला कोषालय अधिकारी से मूल प्राधिकार पत्र भुगतान नहीं का प्रमाण पत्र (No payment certificate) अंकित कराते हुए वापस मंगाया जायेगा एवं यदि पेंशन को भी प्राधिकार पत्र की प्रति दी गई है तो उसे समर्पित कराते हुए पी.पी.ओ. पंजी में पेंशनर के उपयुक्त कम्युटेशन कॉलम में निरस्तीकरण का उल्लेख किया जायेगा एवं प्राधिकार पत्र को निरस्त करते हुए पी.पी.ओ. फाइल में रख दिया जायेगा, जिसकी सूचना कार्यालय प्रमुख/सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को भी दी जायेगी।

(द) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा ऐसा कम्युटेशन प्राधिकार पत्र वापस करने पर कोषालय द्वारा पी.पी.ओ. रजिस्टर में आवश्यक इंद्राज किया जावेगा।

3. उपर्युक्त आदेश केवल उन सभी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू होगा, जो इस आदेश के जारी होने के पूर्व पेंशन कम्युटेशन हेतु आवेदन-पत्र दे चुके हैं या जिन्होने कम्युटेशन की प्राधिकृत राशि का भुगतान नहीं लिया है एवं अपने आवेदन पत्र वापस लेना चाहते हैं। जिन सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों ने पेंशन के कम्युटेशन की राशि प्राप्त कर ली है, उन्हें उक्त पात्रता नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-
(अशोक दास)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक एफ 25/155/2000/पी.डब्ल्यू.सी./चार भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 2000.

प्रतिलिपि

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, भोपाल,
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल,
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय,
4. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर,
7. विशेष सहायक उप मुख्यमंत्री म.प्र. शासन,
8. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल,
9. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन,
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल,
11. रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर,
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
16. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
17. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय,
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, भोपाल
19. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ म.प्र.
21. अध्यक्ष, म.प्र. पेंशनर्स एसोसियेशन, बंगलौर, कर्नाटक,
22. समस्त संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
23. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
24. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
25. सदस्य पेंशनर कल्याण मण्डल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-
(के.एन. पंत)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग